डिक्री

…यालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस

…0सं0 – 251 / 2022

…म्यान : –

1. कालूराम पुत्र तेजाराम जाति जाट निवासी राजपूरा त0 भादरा।
2. सावित्री पत्नी तेजाराम जाति जाट निवासी राजपूरा त0 भादरा।

वादीगण

बनाम

1. भागमल पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी राजपूरा तहसील भादरा।
2. महेन्द्र पुत्र भागमल जाति जाट निवासी राजपूरा त0 भादरा।
3. मेदाराम पुत्र भागमल जाति जाट निवासी राजपूरा त0 भादरा।
4. कमला पुत्री भागमल जाति जाट निवासी राजपूरा त0 भादरा।
5. जैसूर्या मारू पुत्र तेजाराम जाति जाट निवासी राजपूरा त0 भादरा।
6. बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा। –

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री महेन्द्र जागिड़ व वकील प्रतिवादीगण श्री रामजस गढवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 10 बीएचडी के खाता सं0 136 / 57 की कुल 2.5930है0, चक 9 बीएचडी के खाता सं0 217 / 78 की कुल 1.4550है0 व इसी प्रकार चक राजपूरा बारानी के खाता सं0 27 / 22 की कुल 0.9620है0 खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 भागमल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 भागमल की बजाए वादीगण तथा प्रतिवादी सं0 5 संयुक्त रूप से 1 / 4 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 3 प्रत्येक 1 / 4–1 / 4 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/08/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला आर.ए.एस.

प्र0न0 — 251/2022

उनवान :

1. कालूराम पुत्र तेजाराम जाति जाट निवासी राजपूरा त0 भादरा।
2. सावित्री पत्नी तेजाराम जाति जाट निवासी राजपूरा त0 भादरा। वादीगण

बनाम

1. भागमल पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी राजपूरा तहसील भादरा।
2. महेन्द्र पुत्र भागमल जाति जाट निवासी राजपूरा त0 भादरा।
3. मेदाराम पुत्र भागमल जाति जाट निवासी राजपूरा त0 भादरा।
4. कमला पुत्री भागमल जाति जाट निवासी राजपूरा त0 भादरा।
5. जैसूर्या मारू पुत्र तेजाराम जाति जाट निवासी राजपूरा त0 भादरा।
6. बैंक ऑफ बडोदा शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा। —

प्रतिवादीगण

दावा बावत अन्तर्गत धारा 88—188

राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री महेन्द्र जागिड़ वादी
श्री रामजस गढवाल प्रतिवादी

दिनांकः 25/08/23

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 10 बीएचडी के खाता सं0 136/57 की कुल 2.5930है0, चक 9 बीएचडी के खाता सं0 217/78 की कुल 1.4550है0 व इसी प्रकार चक राजपूरा बारानी के खाता सं0 27/22 की कुल 0.9620है0 खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 भागमल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति—रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करने लगे। अतः वादीगण अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 5 ता 7 को वकील वादी तर्क अंकित किया।

साक्ष्य वादी में वादी कालूराम द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। साक्ष्यवादी में जमाबंदी वर्तमान तथा पैतृक नामान्तरण के साथ—साथ सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्शित करवाये गये।

Scanned with OKEN Scanner

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने निवेदन किया वाद भूमि वादीगण की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण ने रोही मौजा चक 10 बीएचडी के खाता सं0 136/57 की कुल 2.5930है0, चक 9 बीएचडी के खाता सं0 217/78 की कुल 1.4550है0 व इसी प्रकार चक राजपूरा बारानी के खाता सं0 27/22 की कुल 0.9620है0 खातेदारी में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण के साथ-साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं0 1 के वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 ता 6 के अलावा अन्य कोई कानूनी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी सं0 1 के बेटे तेजाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीगण व प्रतिवादी सं0 5 के रूप में बतौर पक्षकार पत्रावली में मौजूद है। मुताबिक राजीनामा प्रतिवादी सं0 4 ने अपना हक हिस्सा वादीगण तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 3 तथा 5 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी मुताविक राजीनामा स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मौजा चक 10 बीएचडी के खाता सं0 136/57 की कुल 2.5930है0, चक 9 बीएचडी के खाता सं0 217/78 की कुल 1.4550है0 व इसी प्रकार चक राजपूरा बारानी के खाता सं0 27/22 की कुल 0.9620है0 खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 भागमल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 भागमल की बजाए वादीगण तथा प्रतिवादी सं0 5 संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 3 प्रत्येक 1/4-1/4 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25/08/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner